THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The Government had constituted the Comfittee on the Financial System under the Chairmanship of Shri M. Narasimham to examine all aspects relating to the structure, organisation, functions and procedures of the financial system. The Committee submitted its report on 20th November, 1991. Initiatives taken pursuant to the Committee's recommendations include reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR), simplification of interest rate structure, positioning of norms in respect of capital adequacy, income recognition and provisioning requirements, revision of balance sheet and profit and loss formats for ensuring greater transparency, revision of Reserve Bank of India guidelines for branch licensing initiation of process of converting Industrial Finance Corporation of India (IFCI) into a company, issue of guidelines on entry of new private sector banks, measures aimed at liberalisation of the capital market, vesting of SEBI with statutory powers, equal treatment of various Mutual Funds in the area of tax concessions etc. Government have decided to implement the recommendations of the Committee in a phased manner.

(c) The Goiporia Committee in its report submitted to Reserve Bank of India in 1991 had made wide ranging recommendations covering (i) improvement of customer service by enlarging the scope of teller services, extending banking hours for non-cash transactions, devising appropriate procedures to render uninterrupted service during business hours; (ii) opening of specialised branches focussing on internatinoal banking industrial finance, small scale industries, (iii) te hnology upgradation and continuous review of systems and procedur in tune with the changing needs of customers; and (iv) compensating customers for delay in collection of cheques, payment by mail transfer, telegraphic transfer, etc.

Reserve Bank of India have already issued necessary instructions in respect of several recommendations of the Committee.

ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनायें

1628. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करके ग्रामीण लोगों की सहायता उपलब्ध करने के लिए कोई योजना तैयार की है जिससे गुजरात में रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन में भी सहायता मिले ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की गुजरात राज्य के लिए निकट भविष्य की क्या योजनायें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उनकी योजनायें किसी राज्य विशेष के संदर्भ में नहीं होती हैं और गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्रों को उसकी पुनर्वित्त सहायता के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार दी गई सहायता से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे देश में रोजगार की सुविधा बढ़ी है। अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान सिडबी ने गुजरात में लघु उद्योग क्षेत्र को 1168.11 करोड़ रुपए की कुल सहायता मंजूर की।

सिडबी ने विभिन्न राज्यों में प्रवर्तक और विकास शील कार्य भी किए हैं। गुजरात में किए गए ऐसे कार्यकलापों में प्रबन्धन सहायता के लिए तैयार किया गया विशेष कार्यक्रम विपणन कार्य करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम, मशीन टूल उद्योगों के समूह के लिए तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम, ग्रामीण उद्यम विकास कार्यक्रम, बिजली चालित करघों की इकाइयों के लिए दक्षता और तकनीकी उन्नयन और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु सहायता।

गर-सरकारी कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं के लिए एस.ई.बी.आई. के दिशानिर्देश

1629. **श्री सोमपाल :**
श्री राम गोपाल यादव :
श्री शारदा महन्ती :
डा. नौनिहाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड गैर-सरकारी कंपिनयों में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संबंधित दिशानिर्देश बनाने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आचार संहिता और नियम कब तक लागू किये जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अयरार अहमद) : क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण करने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं और न ही जारी करने पर इस समय विचार कर ही है। तथापि, दिसम्बर, 1992 में सेबी ने चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों से अनुरोध किया था कि वे उन कंपनियों, जिनमें उनका पर्याप्त धन लगा हुआ हैं, की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए कंपनियों के प्रस्ताव पर्याप्त रूप से न्यायोचित हों तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि इशूज का मुल्य निर्धारण तर्कसंगत हो, नियुक्त करें।

Difference in leaving excise duty

1630. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received representations to remove the distinction in the proposed excise duty in respect of registered and unregistered small scale industrial units;

(b) if so, what are the details of these representations; and

(c) whether Government have studied these representations, if so, what decision has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a and (b) Representations have been received to remove the distinctin between registered and unregistered small scale units for the purpose of excise duty concession.

(c) The Government, after examining the representations, have increased the limit for exemption from excise duty in respect of unregistered small scale units from Rs. 10 lakhs to Rs. 30 lakhs per year.